बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फैक्स नं :– 0151–2226906, फोन नं :–0151–2226902, 0151–2226905,
EMAIL ADDRESS :- bikanernagarnigam@gmail.com, Website :- bikanermc.org

क्रमांक / सामा / बोर्ड बैठक / 2015 / 32180-85   21 जुलाई, 2015

डेयरी बूथ स्थल स्वीकृत हेतु गाईड लाईन

दिनांक 01.07.2015 को निगम की आयोजित साधारण सभा में प्रस्ताव संख्या 05 के अनुमोदन उपरान्त डेयरी बूथ लगाने हेतु निम्नानुसार गाईड लाईन जारी की जाती है।

सार्वजनिक मार्गो व फूटपाथो पर अनियमित ढंग से बूथ लगाने की अनुमति दिये जाने से –

1. शहर की सुन्दरता प्रभावित होती है,
2. बूथ स्वतंत्र आवागमन मे बाधा उत्पन्न करते है,
3. सार्वजनिक मार्गो पर ऐसे बूथ स्थापित होने से दुर्घटनाओं के कारण बन जाते है।
4. इन बूथों से सार्वजनिक न्यूसेंस उत्पन्न होता है।

इन परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह उचित समझा गया कि बूथ स्थापित करने के लिए नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 340(1)(डी) के अन्तर्गत उपविधि बनाई जावें। उप–विधि के बनाने की प्रक्रिया में समय लगने को दृष्टिगत रखते हुए तत्काल उपाय के लिए नीति (Policy) बनाया जाना उचित समझा गया। शहर मे उपयुक्त स्थानों को चुना जाना तथा तकनीकी मापदण्ड निर्धारित करने आवश्यक हैं ताकि शहर की सुन्दरता खराब नही हो एवं ऐसे स्थान सार्वजनिक मार्गो से दूर होने चाहिए।

डेयरी बूथ की अनुमति के सम्बन्ध मे निम्न नीति निर्धारित की जाती है :–

(1) *परिभाषा :–*

डेयरी बूथ से तात्पर्य ऐसा बूथ जिसमे विक्रय के प्रयोजनार्थ दूध की आपूर्ति की जाती है या जिसमे विक्रय के प्रयोजनार्थ दूध रखा जाता है या जो 1. मक्खन 2. घी 3. पनीर 4. दही 5. छाछ के विक्रय के लिए रखा जाता है जिसकी साईज 6'X6' से अधिक नही हो।

(2) *प्रक्रिया :–*

1. आवेदक को आवेदन शुल्क रूपये 100/– जमा करवाने होगे।
2. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ प्रस्तावित स्थल का मानचित्र 4 प्रतियो मे सलंग्न करना होगा, जिसमे साईट प्लान, फूटपाथ की चौड़ाई, निर्मित सड़क की चौड़ाई दिग्दर्शित करनी होगी।

3. प्रस्तावित स्थल के आस--पास 100 मीटर मे चल रही गतिविधियो का फोटोग्राफ संलग्न करना होगा।

(3) ***प्रतिबंधित क्षेत्र :–*** निम्न स्थान एवं स्थलों को बूथ स्थापित करने हेतु प्रतिबन्धित किया जाता है।

1. अधिसूचित पुरातत्व एवं हैरिटेज सम्पतियो से 100 मीटर दूरी तक का क्षेत्र।
2. सड़क पर व सड़क के मोड़ पर जिससे आवागमन में बाधा उत्पन होती हो।
3. राजस्थान नगर पालिका (भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के नियम 22 के अनुसार राज्य मार्ग के मध्य मे दोनो ओर 50 फुट एवं राष्ट्रीय मार्ग मध्य से दोनो और 100 फुट तक का क्षेत्र मे प्रतिबन्ध है।
4. निजी आवासीय भवन/भूखण्ड के आगे/पुल या नाले पर। परन्तु निजी आवास भवन/भूखण्ड के आगे उसके स्वामी के द्वारा लिखित सहमति देने पर भवन/भूखण्ड के आगे का क्षेत्रफल प्रतिबन्धित नही रहेगा।
5. पूर्व में ही स्थापित बूथ से 500 मीटर दूरी तक का क्षेत्र।
6. नगर निगम की योजना/नगर विकास न्यास की योजना/निजी योजना जो उपविभाजन नियम, 1975 के अन्तर्गत स्वीकृत है मे 40 फीट से कम चौड़ी सड़क पर।
7. डेयरी बूथ स्थापित करने हेतु प्रतिबन्धित क्षेत्र में यदि किसी विशेष परिस्थिति मे शिथिलता दिया जाना आवश्यक हो तो वह प्रकरण साधारण सभा के समक्ष रखकर निर्णय लिया जावें।

(4) ***सक्षमता :–***

1. बूथ लगाने की स्वीकृति मुख्य नगर पालिका अधिकारी/आयुक्त द्वारा ही प्रदान की जायेगी।

(5) ***बूथ अनुमति की शर्ते :–***

1. जिस व्यक्ति के लिए, जिस स्थान के लिए तथा जिस उदेश्य/कार्य के लिए अनुमति दी गई है, उसमे किसी प्रकार का परिवर्तन नही होगा तथा अनुमति अहस्तान्तरणीय होगी।
2. डेयरी बूथ के आगे टेबल, बैच आदि नही रखे जावेगे।
3. अनुमति जारी किये जाने की तारीख से आगामी आने वाली 31 मार्च तक अवधि के लिए मान्य होगी। उसके पश्चात् किराया 10 अप्रेल तक जमा कराने पर ही वित्तीय वर्ष के लिए बूथ की अनुमति मान्य होगी।
4. राज्य सरकार/नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी/आयुक्त के द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देश/आदेश की पालना करनी होगी।
5. डेयरी बूथ पर पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा नही बेचे जावे, अन्यथा स्वीकृति निरस्त की जावेगी।

6. नीति के प्रावधान उन प्रकरणो पर भी लागू होगें जिनमें पूर्व में लाईसेंस जारी किए जा चुके है।

7. वितीय वर्ष 2015–16 के जारी लाईसेंस धारको को भी पुनः आवेदन प्रस्तुत करना होगा/नीति के अनुसार जाँच करके दुबारा नया लाईसेंस जारी किया जावेगा। किन्तु ऐसे प्रकरणो को निरस्त नही किया जावेगा। स्थान परिर्वतन किया जा सकता है।

8. जन सुरक्षा/प्रतिबन्धित क्षेत्र अथवा बिन्दू संख्या 5(1) से (5) मे वर्णित शर्तो का उल्लंघन करने पर अनुमति निरस्त कर दी जायेगी। अनुमति निरस्त करने से पहले यथोचित सुनवाई का अवसर आवेदक को दिया जायेगा।

आयुक्त
बीकानेर नगर निगम

क्रमांक/सामा/बोर्ड बैठक/2015/3280-85 21 जुलाई, 2015

प्रतिलिपि :–
1. श्रीमान महापौर, नगर निगम बीकानेर
2. श्रीमान उपमहापौर, नगर निगम बीकानेर।
3. आयुक्त, नगर निगम बीकानेर।
4. उपायुक्त(प्रशासन)/उपायुक्त (विकास), नगर निगम बीकानेर।
5. मुख्य लेखाधिकारी/स्वास्थ्य अधिकारी/राजस्व अधिकारी/अधिशाषी अभियंता/सहायक अभियंता/कनिष्ठ अभियंता (विद्युत)/भण्डार अधीक्षक, नगर निगम बीकानेर।
6. समस्त शाखा प्रभारी, बीकानेर
7. सुरक्षित पत्रावली।

आयुक्त
बीकानेर नगर निगम